

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

आम सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021, के संगत प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश योजना के अनुमोदन हेतु याचिका माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है जिसे याचिका क्रमांक 91/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है। उक्त याचिका में वितरण कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 में सर्वोत्तम मानक व आपूर्ति की विश्वसनीयता तथा उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाने के लिए प्रणाली को उन्नत करने के कारण स्वीकृत पूंजीगत व्यय एवं वास्तविक व्यय के अंतर के कारण अतिरिक्त पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया है, जिसका सारांश नीचे तालिका में दर्शित हैं :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 का सामान्य विकास Normal Development (ऑब्लिगेटरी) योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं वास्तविक कार्य प्रगति का विवरण

स. क्र.	कार्य का नाम	वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24		
		स्वीकृत राशि (रु. करोड़)	वास्तविक भौतिक	राशि (रु. करोड़)	स्वीकृत भौतिक	राशि (रु. करोड़)	वास्तविक भौतिक	राशि (रु. करोड़)	स्वीकृत भौतिक	राशि (रु. करोड़)
1	33 केव्ही लाईन (किमी)		28	1.26	35	4.20	3.62	0.25	35	4.55
2	11 केव्ही लाईन (किमी)		225	6.30	984	51.26	391.7	17.63	150	15.50
3	एलटी लाईन (किमी)		176	6.16	1711.76	61.86	515.43	22.16	250	6.00
4	डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर									
i.	नया (नं.)		320	61.44	2028	54.78	5531	193.59	250	10.00
ii.	ऑगमेंटेड (नं.)	46	54	0.81	1657	26.6	480	15.36	500	13.00
5	सर्विस कनेक्शन (नं.)									
i	सिंगल फेस (नं.)		89726	6.28	90000	28.01	215777	21.58	90000	28.01
ii	थ्री फेस (नं.)		16092	4.83	20000	12.11	47125	15.08	20000	12.11
iii	एचटी कनेक्शन (नं.)		55	0.13	200	0.06	233	0.16	200	0.06
6	अन्य कार्य (खराब पॉवर/ डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर, खराब एलटी/एचटी मीटर एवं टूटे पोल का प्रतिस्थापन)	69.68		54.69		246.12		116.11		30.76
	कुल	195.68		141.85		485		401.90		120.0

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य विकास Normal Development (ऑब्लिगेटरी) योजना के तहत योजनावार संभावित व्यय

स. क्र.	योजना	(रु. करोड़)
1	सामान्य विकास (Normal Development) (032)	120
2	एलटी नया सर्विस कनेक्शन (061)	170
3	स्टोर मटेरियल (ट्रांसफार्मर/मीटर/पोल/कंडक्टर/केबल/अन्य) (061एम)	90
4	एचटी नया सर्विस कनेक्शन (062)	20
5	स्टोर मटेरियल (ट्रांसफार्मर/मीटर/पोल/कंडक्टर/केबल/अन्य) (062एम)	8
6	बंद खराब मीटर प्रतिस्थापन (032डी)	27.54
7	मीड स्पान पोल एवं क्षतिग्रस्त पोल का प्रतिस्थापन (032पी)	200
8	खराब ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन (032टी)	120
9	कम वोल्टेज पम्प क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ऑगमेंटेशन	35
10	जंगली जानवरों विशेषकर हाथियों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए मीड स्पान पोल (032बी)	120
	कुल	910.54

**वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य विकास Normal Development
(ऑब्लिगेटरी) योजना का स्वीकृत पूंजीगत व्यय एवं वास्तविक पूंजीगत व्यय**

(रु. करोड़)

विवरण	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	कुल
स्वीकृत पूंजीगत व्यय	195.68	485	120	120	920.68
वास्तविक पूंजीगत व्यय	141.81	401.90	608.39	910.54	2062.64
अतिरिक्त पूंजीगत व्यय	(53.87)	(83.10)	488.39	790.54	1141.96

वित्त वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक सामान्य विकास (Normal Development) (ऑब्लिगेटरी) योजना के तहत स्वीकृत कुल पूंजीगत व्यय रु. 920.68 करोड़ है, जबकि वास्तविक व्यय रु. 2062.64 करोड़ हैं। इसलिए स्वीकृत पूंजीगत व्यय और वास्तविक व्यय में कुल रु. 1141.96 करोड़ का अंतर है। तदनुसार, वितरण कंपनी ने माननीय नियामक आयोग से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रु. 1141.96 करोड़ के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की स्वीकृति का अनुरोध किया है।

उपरोक्त याचिका की प्रति सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर एवं कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, चतुर्थ तल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर स्थित मुख्यालय में उपलब्ध हैं, जिन्हें रु. 100/- (सौ रुपये मात्र) का भुगतान कर किसी भी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त भुगतान के अतिरिक्त डाक व्यय हेतु रु. 50/- के साथ याचिका की प्रति उक्त कार्यालय से डाक के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in एवं छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि. की वेबसाइट www.cspdcl.co.in पर भी उपलब्ध है।

याचिका से प्रभावित होने वाले सभी संबंधित पक्षकारों से याचिका पर आपत्तियां/सुझाव इस नोटिस के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। आपत्ति /सुझाव आम सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों की समयावधि के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एवं/या कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.), छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि, रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। सुझाव/आपत्ति ई-मेल द्वारा ई-मेल आई डी cserc.sec.cg@nic.in एवं/या cecomcseb@rediffmail.com पर भी भेजी जा सकती हैं।

माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/संस्थाओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान कर सकता है, जिसके स्थान एवं तिथि की जानकारी माननीय आयोग द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से पृथक से प्रसारित की जावेगी।

**कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.)
छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर**

Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

Public Notice

In pursuance to relevant provision of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulation, 2021, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL) has filed a petition for approval of additional Capital Investment Plan (CIP) for FY 2021-22 to FY 2024-25 before Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC), which is registered as Petition No. 91/2024. In the said petition, CSPDCL has proposed additional capital expenditure arising due to difference in approved and actual expenditure for the period FY 2021-22 to FY 2024-25 on account of upgrading the system to achieve the optimum standard and reliability of supply & enhance consumer satisfaction. The summary of proposed petition is given below :-

**Detail of approved and actual work completed under Normal Development
(Obligatory) Scheme of FY 2021-22 to FY 2023-24**

Sr. No.	Name of the Scheme	FY 2021-22			FY 2022-23				FY 2023-24			
		approved	actual		approved	actual			approved	actual		
		FIN (Rs. in Cr.)	PHY	FIN (Rs. in Cr.)	PHY	FIN (Rs. in Cr.)	PHY	FIN (Rs. in Cr.)	PHY	FIN (Rs. in Cr.)	PHY	FIN (Rs. in Cr.)
1	33 kV lines (km)		28	1.26	35	4.20	3.62	0.25	35	4.55	158.11	11.07
2	11 kV lines (km)		225	6.30	984	51.26	391.7	17.63	150	15.50	1351.59	64.88
3	LT Lines (km)		176	6.16	1711.76	61.86	515.43	22.16	250	6.00	2462.56	78.80
4	Distribution Transformer											
i.	New (no.)		320	61.44	2028	54.78	5531	193.59	250	10.00	8148	325.92
ii.	Augmentation (no.)	46	54	0.81	1657	26.6	480	15.36	500	13.00	1321	42.27
5	Service Connection											
i	Single Phase (no.)	80	89726	6.28	90000	28.01	215777	21.58	90000	28.01	231108	20.80
ii	Three Phase (no.)		16092	4.83	20000	12.11	47125	15.08	20000	12.11	55986	16.80
iii	HT Connection (no.)		55	0.13	200	0.06	233	0.16	200	0.06	270	0.27
6	Other Works (Replacement of failed power / distribution transformer, LT/HT stop defective meters and broken poles)	69.68		54.69		246.12		116.11		30.76		47.21
	Total	195.68		141.85		485		401.90		120.0		608.39

**Scheme-wise prospective expenditure under Normal Development
(Obligatory) Scheme for FY 2024-25**

(Rs. in Crores)

S. No.	Scheme	01.04.24 to 31.03.25 (Prospective)
1	Normal Development (032)	120
2	LT New Service Connection (061)	170
3	Store Material (Transformer/Meter/Pole/Cond./Cable /Other) (061M)	90
4	HT New Service Connection (062)	20
5	Store Material (Transformer/Meter/Pole /Cond./Cable /Other) (062M)	8
6	Stop Defective Meter Replacement (032D)	27.54
7	Mid Span Pole & Damage Pole Replacement (032P)	200
8	Failed Transformer Replacement (032T)	120
9	Augmentation of DTs in low voltage pump (032A)	35
10	Mid span poles to provide safe passage to wild animals specially Elephants (032B)	120
	Total	910.54

**Approved CIP and actual capital expenditure from FY 2021-22 to FY 2024-25
towards Normal Development (Obligatory) scheme**

(Rs. in Crores)

Particulars	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	FY 2024-25	Total
Approved expenditure	195.68	485	120	120	920.68
Actual expenditure	141.81	401.90	608.39	910.54	2062.64
Additional Capital Expenditure	(53.87)	(83.10)	488.39	790.54	1141.96

The total CIP approved under ND (Obligatory) scheme from FY 2021-22 to FY 2024-25 is Rs. 920.68 crores, whereas actual expenditure is Rs. 2062.64 crores. Hence, there is a difference of Rs. 1141.96 crores in approved CIP and actual expenditure. Accordingly, CSPDCL has requested to the Hon'ble Commission to approve the cumulative additional capital expenditure of Rs. 1141.96 crores for FY 2024-25.

Interested persons can purchase copy of petition on any working day on payment of Rs. 100/- from the CSERC, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur and Executive Director (RA&PM), CSPDCL, 4th Floor, Vidhut Sewa Bhavan, Dagania, Raipur. The copy of petition can also be obtained by post from aforesaid offices on additional payment of Rs. 50/-. The petition is also available at Commission's website www.cserc.gov.in and CSPDCL's website www.cspdcl.co.in.

Persons/institutions intending to file objections/suggestions on aforesaid petition may send their objections/suggestions directly to Secretary, CSERC and/or Executive Director (RA&PM) within 21 days from the date of publication of this notice. Objections/suggestions can also be mailed to e-mail address cserc.sec.cg@nic.in and/or cecomcseb@rediffmail.com.

The Hon'ble Commission may provide opportunity of personal hearing to interested person/institutions for which place and date shall be notified by the Hon'ble Commission through newspapers separately.

Executive Director (RA&PM)
CSPDCL, Raipur